

Full Title of the Project: Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No. : FP/UK/ROAD/140350/2021

Date of Proposal : 01/04/2021

Forest Land Proposed For Diversion: Total Area : 20.0849 Hectare

प्रारूप-2

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भर जाने के लिए)

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (पुराना रा.रा. 72) (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 307 (पुराना रा.रा. 72ए) (आशारोडी के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि० मी० 0.000 से कि० मी० 12.000 तक उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में सड़क निर्माण स्थल हेतु कुल 20.0849 हे० वन भूमि प्रभावित है। परियोजना की कुल लंबाई 12.000 कि० मी० है।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रु० 653.36 करोड़
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (पुराना रा.रा. 72) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 307 (पुराना रा.रा. 72ए) से आने वाले ट्रैफिक में वाहनों की संख्या अत्यधिक होने के कारण देहरादून शहर में सड़क पर कई घंटे वाहन जाम में खड़े रहते हैं। जिससे जनमानस को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तथा राष्ट्र को आर्थिक क्षति पहुंचती है। अतः ट्रैफिक को डायवर्ट कर पश्चिम में (हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आदि) एवं उत्तर दिशा में (विकासनगर, सेलाकुई आदि) सीधे जाने के लिए लिंक रोड (चार लेन ग्रीन फील्ड रोड कि०मी० 00.000 से कि०मी० 12.000 तक) का विकसित होना आवश्यक है। चुकि प्रस्तावित लिंक रोड के कि०मी० 2.260 से 2.445, कि०मी० 4.815 से 5.058, कि०मी० 6.320 से 11.662, तथा कि०मी० 19.200 से 19.800 भाग वन भूमि से गुजरता है अतः लिंक रोड विकसित करने हेतु वन भूमि की आवश्यकता अनिवार्य है।

	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।		
	च) रोजगार जिन के पैदा होने की संभावना है।	निर्माण कार्य से लगभग 200 लोगों को 468 कार्य दिवस तक को स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।		
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य वार विवरण:	सड़क निर्माण एवं भूस्खलन उपचार (है०)	मलबा निस्तारण (है०)	कुल वन भूमि (है०)
		20.0849	0.000	20.0849
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है			
	क) परिवारों की संख्या	0		
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं।		
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई नहीं।		
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं)	नहीं।		
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचन बद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।		
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	सच्ची संलग्न है जिसमें समस्त विवरण उपलब्ध है।		

दिनांक :-18.07.2022

स्थान :-देहरादून

पंकज कुमार मौर्य
महाप्रबंधक (तकनीकी)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पी.आई.यू., वसन्त विहार,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(मंडल परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी.आई.यू.-वसन्त विहार, देहरादून

प्रस्ताव की क्रम संख्या



(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वाराभरा जाएगा)